# इकाई 2 उत्तर भारत में राजनीति और अर्थव्यवस्था

## इकाई की रूपरेखा



## 2.0 उद्देश्य

इस इकाई में सोलहवीं शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की जानकारी दी जाएगी। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- सिकन्दर लोदी की राजनीतिक सत्ता की प्रकृति का वर्णन कर सकेंगे,
- इब्राहिम लोदी की समस्याओं का उल्लेख कर सकेंगे,
- मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर की आरंभिक कठिनाइयों की चर्चा कर सकेंगे,
- शेरशाह द्वारा हुमायूं की पराजय के कारणों को रेखांकित कर सकेंगे, और
- लोदी सुल्तानों के अधीन प्रशासनिक ढांचे और नगरीकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डाल सकेंगे।

## 2.1 प्रस्तावना

उत्तर भारत में सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में राजनीतिक अव्यवस्था और अनिश्चितता का माहौल था। इस काल में कई शासक राजवंश उभरे और विभिन्न प्रकार के शासकों का उदय हुआ। भारत में मुगलों का आगमन इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इसने आने वाले 200 वर्षों तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक प्रभावेत किया। इस इकाई में हम सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य आपको उस राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से परिचित कराना है, जिसमें शक्तिशाली मुगल साम्राज्य ने भारत में अपने को स्थापित किया।

सबसे पहले हम इस काल में हुई राजनीतिक गतिविधियों की चर्चा करेंगे। हम अपनी बात अफगानों के लोदी राजवंश से शुरू करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार मुगलों ने अफगानों को हराया और

अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की । इसके बाद अफगानों द्वारा मुगलों को पदस्थ करने का मुद्दा सामने आएगा । इस इकाई के अंत में हुमायूं की वापसी और मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना की चर्चा की जाएगी । इस काल में अफगानों के तहत प्रमुख आर्थिक गतिविधियों की भी चर्चा की जाएगी । हमें आशा है कि यह इकाई मुगलकालीन राजनीति और अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक होगी । आइए, लोदी साम्राज्य से अपनी बात शुरू करें ।

## 2.2 लोदी साम्राज्य

15वीं शताब्दी का अंत होते-होते बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी राजवंश की स्थापना सुदृढ़ रूप से कर दी थी । उसने उत्तर भारत के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था । उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकन्दर लोदी गद्दी पर बैठा ।

### 2.2.1 सिकन्दर लोदी

सोलहवीं शताब्दी में सुल्तान सिकन्दर लोदी के नेतृत्व में उत्तर भारत में लोदी साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया । 1496 में जौनपुर के भूतपूर्व शासक हुसैन शरकी को दक्षिण बिहार से खदेड़ दिया गया और उनके राजपूत सरदार सहयोगियों को या तो समझौते के लिए मजबूर कर दिया गया या परास्त कर दिया गया । उनकी ज़मींदारियों को या तो सुल्तान के सीधे नियंत्रण में ले लिया गया या उनका दर्जा परतंत्र प्रदेश का हो गया । इसी प्रकार से सुल्तान की सत्ता को चुनौती देने वाले अफगान और गैर-अफगान सरदारों को दिल्ली और उसके आस-पास के इलाके से हटा दिया गया ।

सोलहवीं शताब्दी के प्रथम दशक में धौलपुर पर कब्जा होने के बाद राजपूताना और मालवा प्रदेशों में अफगान शासन के विस्तार का रास्ता प्रशस्त हो गया । नरवर और चंदेरी के किलों को जीत लिया गया । नागौर के ख़ानज़ादा ने 1510-11 में लोदी सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली । संक्षेप में, संपूर्ण उत्तर भारत, उत्तर-पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में उत्तर-बिहार के सरन और चंपारन तक और चंदेरी से लेकर दिल्ली के दक्षिण तक लोदी साम्राज्य की परिधि में आ गया था ।

### 2.2.2 इब्राहिम लोदी

अपने पिता के विपरीत, सुल्तान इब्राहिम लोदी (1517-26) को 1517 में गद्दी पर बैठते ही अफगान सरदारों की दुश्मनी का सामना करना पड़ा । उसने अपने पिता को शक्तिशाली सामंतों से घिरा पाया, जो अपनी शक्ति बढ़ाने के चक्कर में केन्द्रीय सत्ता को कमजोर बनाना चाहते थे । उसके पिता को अपने भाइयों और संबंधियों से लड़ना पड़ा था । इस लड़ाई में उन सरदारों ने उसके पिता का समर्थन किया, जो राजकुमारों को समृद्ध प्रांतों से हटाना चाहते थे । सुल्तान सिकन्दर की मौत के बाद सरदारों ने सुल्तान इब्राहिम लोदी और उसके छोटे भाई राजकुमार जलाल खाँ लोदी (कालपी का गवर्नर) के बीच साम्राज्य का बंटवारा करने का निर्णय लिया । सुल्तान इब्राहिम को यह बंटवारा मानने के लिए मजबूर किया गया जिससे स्वाभाविक रूप से केन्द्र कमजोर हुआ । कुछ समय बाद, ख़ान-खाना नुहानी जैसे बुजुर्ग सरदारों ने, जो नये शासक को **नज़राना** पेश करने आये थे, बंटवारे के समर्थकों की आलोचना की । उन्होंने कहा कि यह विभाजन साम्राज्य के लिए घातक है ।

उन्होंने सुल्तान से विभाजन को निरस्त करने का आग्रह किया । उनके सुझाव पर सुल्तान इब्राहिम ने वरिष्ठ सरदारों को राजकुमार जलाल के पास भेजा । उनका उद्देश्य राजकुमार को अपने दावे को वापस करने के लिए और अपने बड़े भाई को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने के लिए राज़ी करना था । ये प्रयत्न असफल रहे और उत्तराधिकार का संकट उत्पन्न हो गया ।

इस मोड़ पर अपने भाई की अपेक्षा सुल्तान इब्राहिम अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था । अतः पुराने सरदार उससे जुड़े रहे । हालांकि कड़ा के राज्याध्यक्ष आज़म हुमायूं सरवानी और उसके पुत्र फतह खाँ सरवानी जैसे कुछ अपवाद मिल जाते हैं । वे कुछ देर के लिए ही सही, पर जलाल खाँ से जुड़े रहे । जब

सुल्तान ने व्यक्तिगत रूप से उनके विरुद्ध युद्ध किया तो दोनों ने जलाल खाँ को छोड़ दिया और सुल्तान से जा मिले।

सुल्तान ने आज़म हुमायूं सरवानी को ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा।

जलाल खाँ ने वहां शरण ले रखी थी। जलाल खाँ ग्वालियर से मालवा की ओर भागा, पर गोंडों ने उसे पकड़ लिया और बंदी बनाकर सुल्तान के पास आगरा भेज दिया। हालांकि ग्वालियर से उसके भागने पर सुल्तान को अपने पुराने सरदारों पर शक होने लगा। आजम हुमायूं को बुलाया गया और उसे कैदखाने में डाल दिया गया। ग्वालियर के राजा ने सरदारों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और सुल्तान की सेवा में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। उसे **इक्ता** के रूप में शमसाबाद (फर्रूखाबाद ज़िला) का इलाका दिया गया। इसी समय प्रतिष्ठित **वज़ीर** मियांभुआ पर भी सुल्तान का विश्वास उठ गया और उसे कैद कर लिया गया। पुराने सरदारों को कैद किए जाने से पूर्वी क्षेत्र में विद्रोह की लहर फैल गयी।

सुल्तान ने अपने विश्वासपात्रों को दरबार में महत्वपूर्ण पद दिए और कुछ को प्रांतों का प्रमुख बनाकर भेजा। इसके परिणामस्वरूप पुराने सामंतों को अपने भविष्य की चिंता होने लगी और वे प्रांतों में अपनी शक्ति मजबूत करने लगे।

बिहार का शक्तिशाली गवर्नर दरिया खां नूहानी पूर्वी क्षेत्र के असंतुष्ट सरदारों का रहनुमा बन गया। लगभग इसी समय बाबर ने भेरा की **सरकार** पर कब्जा जमा लिया और सतलज पार पंजाब का सर्वाधिक शक्तिशाली गवर्नर दौलत खां लोदी उसे मुक्त कराने में सफल नहीं हुआ।

दौलत खां को दरबार में पेश होने का हुक्म मिला, पर उसने इससे इंकार कर दिया और लाहौर में सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी। उसने सुल्तान इब्राहिम के चाचा आलम खां लोदी (बहलोल लोदी का बेटा) को भी आमंत्रित किया और उसे सुल्तान अलाउद्दीन के नाम से नया सुल्तान घोषित किया। इन्होंने सुल्तान इब्राहिम के खिलाफ काबुल के शासक बाबर के साथ संधि की। इब्राहिम लोदी के खिलाफ राणा संग्राम सिंह और बाबर के बीच भी लगभग संधि हो गयी थी (विस्तार के लिए इकाई 7 पढ़िए)।

## 2.3 मुगल सत्ता की स्थापना

बाबर ने अब तक उत्तरी-पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों पर कुछ सफलताएं हासिल की थी। इसके बाद उसने भारत में अपने सहयोगियों के साथ नियोजित ढंग से आक्रमण करने की योजना बनाई।

1526 में पानीपत में बाबर और उसके सहयोगियों तथा सुल्तान इब्राहिम के बीच युद्ध हुआ। बाबर ने उत्तर भारत में पहली बार बन्दूकों व तोपों का उपयोग किया और उसे आसानी से विजय मिल गयी। युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और आगरा से दिल्ली तक का रास्ता बाबर के लिए साफ हो गया।

बाबर ने जब अपने ही बल पर लोदी शासन को ध्वस्त कर दिया तो उसके भारतीय साथी निराश हो गये। असंतुष्ट अफगान और गैर-अफगान सरदारों ने राजकुमार महमूद लोदी को अपना सुल्तान मान लिया और मुगलों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करते रहने का निश्चय किया। बाबर और हुमायूं के शासन के पन्द्रह वर्षों की अवधि को लोदी साम्राज्य के पतन और शेरशाह सूर के साम्राज्य की स्थापना के बीच के काल को मुगलशासन के राज्यातंराल के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

बाबर (मृत्यु 1530) और हुमायूं ने भारत में लोदी सुल्तानों द्वारा स्थापित राज्य व्यवस्था को ही लागू रखा। जैसे ज़मींदारों के प्रति अपनायी जाने वाली नीति के मामले में दिल्ली सुल्तानों द्वारा स्थापित परंपरागत नियमों को ही उन्होंने जारी रखा। बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तान के सभी कोनों में **राय** और **राजा** मिल जाएंगे, वे मुस्लिम शासकों के आज्ञाकारी भी होते हैं और अवज्ञाकारी भी। वस्तुतः परंपरागत रूप से राजाओं के नाममात्र की अधीनता स्वीकार कर लेने से ही वह संतुष्ट हो गया। **बाबरनामा** में स्पष्ट रूप से यह वर्णित है कि बाबर ने सरदारों को इलाकों का भार सौंपा, राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया और परंपरागत रूप से शासक के नाम पर शासन करने की प्रथा को जारी रखा। **खालिसा** के अधीन **परगनों** में **शिकदारों** की नियुक्ति हुई। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बाबर और हुमायूं ने उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कोई खास परिवर्तन नहीं किया।

सुल्तान महमूद लोदी के नाममात्र के नेतृत्व में अफगान और गैर-अफगान सरदार बाबर और हुमायूं के खिलाफ कुछ खास नहीं कर सके। इसका महत्वपूर्ण कारण, उनके आपसी झगड़े और षड़यंत्र थे। 1531 में हुमायूं के हाथों परास्त होने के बाद पुराने अफगान सामंतों के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लग गया। इसके बाद शेर खाँ सूर ने मुगलों के खिलाफ अफगानों का नेतृत्व किया। इस समय तक वह चुनार के किले और दक्षिण बिहार के इलाके पर अपना अधिकार जमा चुका था। पुराने अफगान सरदार गुजरात भाग गये। वहां उन्होंने सुल्तान बहादुरशाह की शरण ली, जो दिल्ली पर अधिकार जमाने के सपने देख रहा था। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह सबसे शक्तिशाली भारतीय राजा था। उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और सैन्य शक्ति बहुत प्रबल थी। गुजरात के कुछ समुद्र तटीय शहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गढ़ बन गये थे। इन शहरों में विदेशों से व्यापारी आया करते थे। व्यापार के फलने-फूलने से राजकोष भी भरा-पूरा था। उसके पास एक मजबूत सेना भी थी।

1531 ई० से सुल्तान बहादुरशाह ने विस्तारवादी नीति का आरंभ किया। उसने मालवा पर आक्रमण किया और उसे अपने राज्य में मिला लिया। 1533 ई० में उसने चित्तौड़ पर घेरा डालकर उस पर कब्जा कर लिया। इसी समय गुजरात तोपखाने के सेनाध्यक्ष रूमी खाँ ने चुपके से हुमायूं से संधि कर ली और उसे सहायता देने का वचन दिया। रूमी खाँ की धोखा-धड़ी के कारण गुजरात की सेना पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गयी। अंततः बहादुरशाह ने दीव के टापू पर शरण ली और मालवा तथा गुजरात पर हुमायूं का शासन हो गया। पर इस विजय का आनन्द देर तक न टिक सका। गुजरात में अपनी विजय के बाद हुमायूं ने यह खबर सुनी कि शेर खां सूर ने बगावत कर दी है और अपने को शेरशाह सूर घोषित कर दिया है। उसने बंगाल के सुल्तान से बड़ा भूभाग छीन लिया और मुगलों के पूर्वी राज्य-क्षेत्रों पर हमला किया। हुमायूं ने अन्य सरदारों के साथ अपने भाई अस्करी को गुजरात में छोड़ दिया और आगरे की ओर पलटा। हुमायूं के गुजरात से निकलते ही मुगलों के खिलाफ बगावत हो गयी। बहादुरशाह दीव से लौट आया और गुजरात और मालवा से उसने मुगलों को मार भगाया।

इसी समय हुमायूं ने जल्दबाजी में युद्ध की तैयारी की और शेरशाह के गढ़ चुनार की ओर प्रस्थान किया। इस समय शेरशाह रोहतास का किला उसके राजा से छीन चुका था। हुमायूं ने चुनार के किले पर आधिपत्य जमा लिया और बिना किसी अफगानी प्रतिरोध के बंगाल में प्रवेश किया। उसने गौड़ (बंगाल) में कुछ समय निष्क्रियता में बिताए। शेरशाह ने इस परिस्थिति का पूरा फायदा उठाया। उसने आगरा और गौड़ की संचार व्यवस्था को बंद कर दिया और बनारस तक के मुगल प्रांतों पर हमले किए। इस बिगड़ती हुई परिस्थिति को देखते हुए हुमायूं आगरा की ओर बढ़ा। 1539 ई० में चौसा में उसकी मुठभेड़ अफगान सेना से हुई और उसे पराजय का सामना करना पड़ा। उसने पुनः एक सेना संगठित की और 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह का सामना किया। हुमायूँ पुनः पराजित हुआ और काबुल भाग गया।

## 2.4 दूसरा अफगान साम्राज्य

अंततः हुमायूं को भगाने के बाद शेरशाह पूर्व में सिंधु से लेकर बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मालवा तक के उत्तर भारत का सम्राट बन गया। मुल्तान और ऊपरी सिंध के बलोच सरदार और पश्चिमी राजपूताना में मालदेव और रायसीन के भैया पूरनमल पराजित हो गये। शेरशाह सूर के अधीन एक बार फिर एक केन्द्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था की शुरूआत हुई। शेरशाह के आगमन के बाद, उत्तर भारत में एक नये इतिहास का सूत्रपात हुआ। विचारों और संस्थाओं में भी कई बदलाव आये।

1545 ई० में बारूद के सुरंग में आग लग जाने से उसकी मृत्यु हो गयी। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी इस्लाम शाह (1545-1553) ने न केवल उसकी व्यवस्था को बरकरार रखा बल्कि जहां जरूरी था वहां उसने सुधार की कोशिश भी की। निश्चित रूप से यह एक प्रकार की व्यक्तिगत सरकार थी, जहां व्यक्तिगत शौर्य पर ही शक्ति और समृद्धि निर्भर करती थी।

**बोध प्रश्न**

1) सिकन्दर लोदी के साम्राज्य के विस्तार का वर्णन कीजिए।

2) निम्नलिखित का मिलान कीजिए।

| | |
|---|---|
| 1) आज़म हुमायूं | क) बिहार का गवर्नर |
| 2) बहादुरशाह | ख) पंजाब का गवर्नर |
| 3) दरिया खाँ नूहानी | ग) गुजरात का शासक |
| 4) जलाल खां लोदी | घ) कड़ा का गवर्नर |
| 5) दौलत खां लोदी | ङ) कालपी का गवर्नर |

3) किन परिस्थितियों में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया?

## 2.5 प्रशासनिक ढांचा

इस काल के दौरान कई नये प्रशासनिक कदम उठाये गये। अफगान शासन काल में तुर्की अवधारणा को पीछे छोड़ दिया गया और नयी अवधारणाएं सामने आयीं। इस बदलाव का प्रतिफलन लगभग सभी प्रशासनिक नीतियों के निर्माण में देखा जा सकता है।

### 2.5.1 राजत्व की प्रकृति

तुर्की सुल्तानों का राजत्व काफी केन्द्रीकृत था (पढ़िए ऐच्छिक पाठ्यक्रम 3 की इकाई 16, उपभाग 16.4.1)। सुल्तान के पास निरंकुश शक्तियां थी। हालांकि अफगान शक्ति के उदय के साथ राजतंत्र की प्रकृति में भी स्पष्ट बदलाव नजर आता है। अफगान राजतंत्र मूलतः अपनी प्रकृति में कबीलाई था। उनके लिए राजा अन्यों के साथ बराबरी का स्थान रखता था, पर वह उन सबमें प्रथम स्थान का अधिकारी था। वस्तुतः राजनीतिक कुशलता की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक अफगान होने के नाते बहलोल तुर्कों से सहयोग की उम्मीद नहीं रख सकता था। उसे वस्तुतः अपने साथी अफगानों की शर्तों को मानना पड़ता था। अफगान सरदार निश्चित रूप से पूर्ण स्थानीय स्वायत्तता पर जोर देते थे। उनके और सुल्तान के बीच एक ही समझौता था कि जब कभी सुल्तान को सैन्य सहायता की आवश्यकता होगी, वे अपने सुल्तान की मदद करेंगे। बहलोल की स्थिति यह थी कि वह अपने साथी अफगानों के समक्ष कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा था और न ही उसने खुला दरबार आयोजित करने की चेष्टा की। वह अपने अफगान सरदारों को **मसनद ए आली** कहकर सम्मान से संबोधित किया करता था।
सुल्तान सिकन्दर लोदी के समय में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। सिकन्दर लोदी अनियंत्रित सरदारों के खतरे से पूरी तरह वाकिफ था। उसे इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाकर अपने साम्राज्य में केन्द्रीकृत सत्ता की स्थापना की।

अपने पिता सुल्तान बहलोल लोदी के विपरीत सुल्तान सिकन्दर लोदी ने अपने सरदारों से आज्ञा पालन की अपेक्षा की। उसके सैनिक अभियानों और विजयों के कारण सरदार उसके प्रति पूरी तरह वफादार और आज्ञाकारी बने रहे। इससे सुल्तान के साथ समानता की भावना को भी धक्का पहुँचा। वह खुले दरबार आयोजित करता था, सिंहासन पर बैठता था और उसके सरदार सेवकों की तरह सुल्तान को सम्मान देने की मुद्रा में खड़े रहते थे। यहां तक कि उसकी अनुपस्थिति में भी बड़े सरदार बड़े सम्मान से **फरमान** ग्रहण किया करते थे। जिस सरदार को **फरमान** भेजा जाता था उसे छह मील आगे बढ़कर **फरमान** ग्रहण करना पड़ता था। एक मंच बनाया जाता था। संदेशवाहक उस मंच पर खड़ा होकर **फरमान** नीचे खड़े सरदार के सिर पर रखता था। इसके बाद सभी संबद्ध लोग इसे खड़े होकर सुनते थे। जो सरदार सुल्तान का विश्वास नहीं प्राप्त कर पाते थे, उन्हें सुल्तान का कोप-भाजन बनना पड़ता था। एक समकालीन लेखक के अनुसार "अगर कोई आज्ञा के रास्ते से भटकता था, तो वह (सुल्तान) या तो उसे मृत्यु-दण्ड देता था या उसे साम्राज्य से बाहर निकाल दिया करता था।" हालांकि आमतौर पर सुल्तान स्थानीय स्तर पर उनकी स्वायत्तता में दखल नहीं देता था, पर कई बार सरदारों का स्थानान्तरण हुआ करता था और कभी-कभी उन्हें पदच्युत भी कर दिया जाता था। सुल्तान ने अहमद खां जिलवानी के पुत्र सुल्तान अशरफ को पदच्युत कर दिया क्योंकि उसने सुल्तान बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद बयाना में अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 1500 ई० में उसने अपने खिलाफ षड्यंत्र में शामिल बाइस बड़े अफगान और गैर-अफगान सरदारों को देश निकाला दे दिया था। 1506 ई० में जलाल खां लोदी को उसके पिता के स्थान पर कालपी का गवर्नर बनाया गया था। उसे केवल इसलिए कालकोठरी में डाल दिया गया, क्योंकि उसने 1508 में नरवर के किले का घेरा डालने में ढील दिखायी।

सरदारों के **इक्ताओं** में भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। पर इन परिवर्तनों के बावजूद अफगान राजत्व मूल रूप से अपरिवर्तनशील रहा। कुछ पद वंशानुगत बन रहे। अफगानों को **खान-ए-जहान, ख़ान-ए-ख़ाना, आज़म हुमायूं, खान-ए-आज़म** आदि जैसी बड़ी पदवियाँ दी जाती रहीं। खेल के मैदान, अभियानों, शिकार आदि जगहों पर सुल्तान के साथ उन्हें अनौपचारिक संबंध बनाए रखने की छूट दी जाती रही। अंतः सिकन्दर लोदी के अधीन राजतंत्र तुर्की और कबीलाई संगठनों के मिले-जुले रूप में विकसित हुआ।

इब्राहिम के नेतृत्व में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को और भी बल मिला। उसका मानना था कि राजत्व में भाई-बंधुत्व का कोई स्थान नहीं है। उसके शासन काल में सुल्तान की प्रतिष्ठा इस कदर ऊँचाई पर चली गयी थी कि शाही डेरे को भी सम्मान की निगाह से देखा जाने लगा था। हालांकि, इब्राहिम की नीति के बुरे परिणाम सामने आये और यह अफगान साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। अफगान सरदार सुल्तान के साथ मालिक-सेवक के संबंध को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इससे सरदारों में असंतोष फैला और उनमें से कइयों ने बगावत कर दी। स्थिति यहां तक पहुंच गयी कि सुल्तान को अपदस्थ करने के लिए उन्होंने बाबर तक का साथ दे दिया।

जब भारत में दूसरी बार अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई (सूर साम्राज्य), तो उन्होंने पहले के अनुभवों से सीख ली और कभी भी कबीलाई राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश नहीं की। इसके स्थान पर शेरशाह सूर ने अति केन्द्रीकृत निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की और उसे इसमें सफलता भी मिली। मुगलों के आगमन के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। मुगल तुर्की और मंगोल दोनों परंपराओं से प्रभावित थे।

## 2.5.2 प्रशासन व्यवस्था

एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्याख्या की स्थापना का श्रेय सुल्तान सिकन्दर लोदी को जाता है। **मुक्तियों** और **वालियों** (राज्याध्यक्षों) के हिसाब-किताब को जांचने के लिए उसने लेखा-परीक्षण की प्रथा आरंभ की। सबसे पहले 1506 में जौनपुर के गवर्नर मुबारक खां लोदी (तुजी ख़ैल) के हिसाब-किताब की जांच हुई थी। उसके हिसाब-किताब में गड़बड़ी पायी गयी और उसे बर्खास्त कर दिया गया। इसी प्रकार भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के प्रशासक गैर-अफगान पदाधिकारी ख्वाजा असगर को कैदखाने में डाल दिया गया। साम्राज्य की स्थिति से अपने को पूर्ण अवगत रखने के लिए सुल्तान ने गुप्तचर व्यवस्था को पुनर्संगठित किया। परिणामस्वरूप सुल्तान की अप्रसन्नता के भय से सरदार आपस में डरते थे। आम जनता की भलाई के लिए राजधानी और प्रांतों में कल्याणकारी केंद्र खोले गये थे, जहां अनाथ और विकलांग लोगों की सहायता की जाती थी। ये कल्याणकारी केंद्र ज़रूरतमंदों को वित्तीय सहायता दिया करते थे। पूरे साम्राज्य में विद्वानों और कवियों को संरक्षण दिया जाता था और शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। उसने सरकारी कार्यालयों में फारसी के अलावा किसी अन्य भाषा के उपयोग पर पाबंदी लगा रखी थी। इससे अनेक हिंदू फारसी सीखने लगे और जल्द ही वे फारसी में निपुण हो गये। परिणामस्वरूप वे राजस्व व्यवस्था में हाथ बंटाने लगे। भारत आने पर बाबर यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि राजस्व विभाग में पूर्णतः हिंदू ही काम करते थे। इसी प्रकार सिकन्दर लोदी निष्पक्ष न्याय का हिमायती था। इस कारण उसके साम्राज्य में शांति और समृद्धि का वर्चस्व रहा।

शेरशाह सम्भवतः अलाउद्दीन खलजी (1296-1316) के शासन के इतिहास से प्रेरित था। उसने खलजी सुल्तान के अधिकांश नियमों और कानूनों को अपना लिया, हालांकि खलजी के समान उसने उन्हें लागू करने के लिए उतनी कठोरता नहीं अपनायी। दोआब क्षेत्र में **सरकार** (खलजियों के **शिक** का पर्याय) प्रशासनिक व राजस्व की इकाई था, जबकि प्रतिरक्षा व प्रशासन की सहूलियत के लिए बंगाल, मालवा, राजपूताना, सिंध और मुलतान जैसे दूर के क्षेत्रों में प्रशासनिक इकाई के रूप में **विलायत** की व्यवस्था को कायम रखा गया। एक विलायत में कई **सरकारें** होती थीं। **सरकार** के अंतर्गत कई **परगने** होते थे, प्रत्येक **परगने** में कई गांव होते थे। गांव मूलतः राजस्व की इकाई था। **सरकार** या **विलायत** में नियुक्त सरदार को असीमित अधिकार नहीं दिए जाते थे। नये नियमों और कानूनों को लागू करने के लिए उसे हमेशा शाही **फरमान** के जरिए निर्देश भेजे जाते थे। जासूस पदाधिकारियों के व्यवहार की सूचना सुल्तान को देते रहते थे। सही ढंग से काम न करने वाले पदाधिकारियों को दंड दिया जाता था। बंगाल के राज्याध्यक्ष खिज़्र तुर्क को इस कारण से बर्खास्त कर जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसने शेरशाह की अनुमति के बिना बंगाल के भूतपूर्व सुल्तान की बेटी से शादी कर ली थी और स्वतंत्रता जाहिर करने की कोशिश की थी।

इसी प्रकार शेरशाह को जिन क्षेत्रों में विरोध की आशंका थी, उन क्षेत्रों में उसने अफगानों को बसाकर अफगान क्षेत्र स्थापित किए। यह उसकी राजत्व नीति की प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है। उदाहरण के लिए, शेरशाह के शासनकाल में ग्वालियर अफगानों की एक प्रमुख बस्ती थी। संक्षेप में, सभी दृष्टियों से शेरशाह एक निरंकुश शासक था।

शेरशाह ने अपने सरदारों की नियुक्ति में यह खास ध्यान रखा कि एक ही प्रजाति या समुदाय के लोगों का वर्चस्व न हो जाए। उसने विभिन्न संप्रदायों से सरदारों की भर्ती की ताकि उसके शासन को किसी गंभीर चुनौती का सामना न करना पड़े। कोई भी समूह इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह शासक पर किसी प्रकार का दबाव डाल सके। हम पाते हैं कि खव्वास खां, हाजी खां और हबीब खां सुल्तानी जैसे गैर-अफगान सरदारों को महत्वपूर्ण प्रांत और बड़े "**इक्ते**" सौंप गये थे। इससे पता चलता है कि शेरशाह ने कभी भी शुद्ध अफगान कुलीन वर्ग की स्थापना को महत्व नहीं दिया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका दूसरा बेटा राजकुमार जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने कई वरिष्ठ और अनुभवी सरदारों को निष्कासित कर दिया जिन्होंने उसके बड़े भाई आदिल खां का समर्थन किया था। उन्हें निकालने के बाद इस्लाम शाह अपने राजनीतिक विचारों को व्यवहारिक रूप देने के लिए स्वतंत्र था। उसने अपनी राजधानी आगरा के बजाय ग्वालियर बनाई और चुनार से अपने पिता का खज़ाना भी ले आया। इस प्रकार दिल्ली की तरह ग्वालियर भी भारतीय-मुस्लिम संस्कृति का केन्द्र बना। यह उल्लेखनीय है कि साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था को केन्द्रीकृत करने में इस्लाम शाह शेरशाह से एक कदम और आगे बढ़ गया। उसने सभी सरदारों से **इक्ते** वापस ले लिये और पूरे साम्राज्य को **खालिसा** के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया। उसने अपने अधिकारियों को "**इक्तों**" की जगह नगद वेतन देना शुरू किया। कुलीनवर्ग और सेना को उसने नये स्तरों में पुनर्गठित किया। सैनिकों के सही रखरखाव के निरीक्षण और उनकी देखभाल करने के लिए तथा सरदारों के लिए जरूरी अस्त्रशस्त्रों की पूर्ति के लिए उन्हीं में से पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। कुलीनों को युद्ध में काम में लाए जाने वाले हाथी रखने की इजाजत नहीं दी गई थी जो कि राजा का विशेषाधिकार था। इस्लाम शाह अपने सरदारों से बड़ी कड़ाई से पेश आता था, पर वह जनता के प्रति उदार था। उसने जनता के जीवन और संपत्ति को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की। अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती थी या उसकी संपत्ति को कोई हानि पहुंचती थी, तो इसके लिए उस इलाके के पदाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाता था। अतः पदाधिकारी दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में बहुत मुस्तैदी दिखाते थे। अपने पिता के समान इस्लाम शाह ने अपने साम्राज्य में निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना भी की।

**बोध प्रश्न 2**

1) तुर्की और अफगान राजनीतिक व्यवस्था में क्या अंतर था?

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

2) सरदारों की शक्ति को दबाने के लिए सूर शासकों ने कौन-कौन से कदम उठाए?

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

## 2.6 अर्थव्यवस्था

समकालीन लेखक सिकन्दर लोदी की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि उसने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाई और इनका दाम कम रखने में सफलता प्राप्त की। शेख रिज़कुल्लाह मुश्ताकी (**वाक़यात-ए मुश्ताकी**) के अनुसार अनाज, कपड़े, घोड़े, भेड़ें, सोना और चांदी कम मूल्य पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। समग्रता में पूरी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए इसके आधारभूत तत्वों पर विस्तार से विचार-विमर्श करना होगा।

## 2.6.1 कृषीय ढांचा

उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कृषीय उत्पादन के अधिशेष में राज्य के हिस्से पर निर्भर करती थी। सुल्तान सिकन्दर लोदी ने एक व्यवस्थित विकासोन्मुख भूराजस्व नीति बनायी। यह नीति उसने अपने राज्य की भौगोलिक प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए अपनायी। चूँकि उसका राज्य चारों ओर से जमीन से ही घिरा था, खेती के विस्तार से प्राप्त अधिक उपज ही उसके वित्तीय संसाधन को बढ़ा सकती थी। बहुत सी अनजुती जमीन पड़ी हुई थी और अगर खेतिहरों को इसे जोतने से प्राप्त होने वाले अपेक्षित मुनाफों का विश्वास दिलाया जाता तो वे इसे जोत सकते थे। कृषि के विस्तार के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु सुल्तान ने प्रशासनिक व्यवस्था में कई परिवर्तन किए। भूमिपतियों और सरकारी पदाधिकारियों द्वारा किसानों से कराये जाने वाले **बेगार** पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसानों को तरह-तरह की रियायतें देकर नयी जमीन जोतने के लिए प्रोत्साहित किया गया। रिज़कुल्लाह मुश्ताकी कहते हैं कि एक इंच जमीन भी अनजुती नहीं छोड़ी गयी। राज्य कर के रूप में कृषि उत्पाद का एक तिहाई हिस्सा लिया करता था और इसे ग्रामीण पदाधिकारी **पटवारी** (वंशानुगत ग्रामीण पदाधिकारी), **खोत** और **मुकद्दम** (गांव का मुखिया) के माध्यम से वसूला जाता था। **जकात** कर (बिक्री और चुंगी या पारगमन कर) समाप्त कर दिए गए।

सुल्तान ने अपने साम्राज्य में किसानों को छूट दे रखी थी कि मूल्यांकन की प्रचलित तीन प्रविधियों में से किसी एक को अपना सकते हैं। राजस्व मूल्यांकन के तीन तरीके थे : फसल का बंटवारा (**बटाई**), माप (**जब्त** व्यवस्था), और **कनकूत** (मूल्यांकन)। सुल्तान सिकन्दर एक मानकीकृत माप व्यवस्था का पक्षधर था। ऐसा कहा जाता है कि उसने **अमीन** और **पटवारी** की सुविधा के लिए बत्तीस अँगुल का **गज-ए-सिंकदरी** निर्धारित किया। इसका उपयोग फसल कटने के समय किया जाता था। **पटवारियों** की यह जिम्मेदारी थी कि वे प्रति **बीघा** के हिसाब से उपज का हिसाब रखें और खेती की गयी भूमि का भी माप रखें।

शेरशाह और इस्लाम शाह ने भी कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उन्होंने लोदी काल के राजस्व प्रशासन को फिर से सुव्यवस्थित किया। **परगना** और **सरकार** स्तर पर नये राजस्व पदाधिकारियों को नियुक्त करने के अलावा, शेरशाह ने भूमि अधिन्यासियों (**वजहदार** और **मुक्ता**) की शक्तियाँ और विशेषाधिकार कम कर दिए। राज्य को देय राजस्व को रोककर रखने वाले और अक्सर लूटपाट में हिस्सा लेने वाले विद्रोही ज़मींदारों को झुकने के लिए मज़बूर किया गया। जमींदार की सीमा में हुए किसी भी अपराध के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता था।

अब प्रांत (**सरकार** और **विलायत**) के गवर्नर (**मुक्तियों** के लिए) फसल कटने के समय राजस्व मूल्यांकन की कोई भी विधि मनमाने ढंग से नहीं अपना सकते थे। **बटाई** और मूल्यांकन की विधि समाप्त कर दी गयी और सब जगह **ज़ब्त** (माप) को लागू किया गया। **जरीबाना** और **मुहास्सिलाना** (भूमि और राजस्व वसूली को मापने के लिए) जैसे अतिरिक्त कर समाप्त कर दिए गये। दोषी पदाधिकारियों को दंड दिया जाता था।

शेरशाह ने आदेश दिया कि प्रत्येक वर्ष कटाई के समय जोती गयी भूमि को मापा जाएगा। उत्पाद में राज्य के हिस्से का निर्धारण शाही नियम-कानून के अनुसार होगा। **मुल्तान** और सिंध के संयुक्त प्रांतों के अलावा यह व्यवस्था पूरे साम्राज्य में लागू थी। दमनात्मक बलूच शासन के कारण **मुल्तान** का क्षेत्र उजड़ चुका था। इसलिए शेरशाह ने अपने गवर्नरों को अपने क्षेत्रों के विकास का निर्देश दिया और किसानों से बंटाई के आधार पर उत्पाद का एक चौथाई हिस्सा वसूलने को कहा। बलूच सरदारों के पहले स्थानीय शासकों के समय में यही व्यवस्था प्रचलित थी। अन्य प्रांतों में राज्य का हिस्सा कुल कृषीय उत्पाद का एक तिहाई होता था।

अबुल फ़ज़ल कहता है कि भूमि उर्वरता के हिसाब से शेरशाह ने भूमि को तीन श्रेणियों (उत्तम, मध्यम और निम्न) में विभक्त किया था। इन तीनों तरह की भूमि से प्रति **बीघा** औसत पैदावार के अनुसार ही वसूली की जाती थी। इसका एक तिहाई हिस्सा राज्य के हिस्से में जाता था। राजस्व संकलनकर्त्ताओं की सुविधा और दिशा-निर्देश के लिए **रे** (प्रति बीघा उपज) तैयार कर ली जाती थी। अब बाजार भाव को आधार बनाकर राज्य के हिस्से को आसानी से नगदी भाव में बदला जा सकता था। अबुल फज़ल ने शेरशाह की इस उपलब्धि का उल्लेख किया है (विस्तार के लिए इकाई 27 देखिए) उसके अनुसार ''शेरखाँ (शेरशाह) ने सभी प्रांतों में आज की दर के हिसाब से काफी कम दर से राजस्व की मांग की और किसानों तथा सेना की

सुविधा के लिए नगद में वसूली की।"अतः यह स्पष्ट है कि राज्य का हिस्सा प्रति बीघा में हुई उपज के आधार पर निर्धारित किया जाता था, पर वसूली करते वक्त उस क्षेत्र में चल रहे **बाजार भाव** के अनुसार फसल को नगदी में बदल दिया जाता था।



1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसके संबंधियों और भतीजों के बीच सिंहासन के लिए झगड़े हुए और पूरे साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गयी। दो साल तक यही क्रम जारी रहा और काफी लोग मारे गये। भुखमरी से बचने के लिए किसान दूर के इलाकों में भाग गये। इसी का फायदा उठाकर हुमायूं ने उत्तर भारत पर पुनः विजय प्राप्त की और नये सिरे से मुगल साम्राज्य की नींव डाली।

## 2.6.2 इक्ता व्यवस्था

पूरा साम्राज्य "**खालिसा**" और "**इक्ता**" में विभक्त था। **खालिसा** सीधा राजस्व मंत्रालय **दीवान-ए-विज़ारत** के अधीन था। **खालिसा** से वसूला गया राजस्व सीधे राजकोष में जाता था। लोदी काल के दौरान कई शहरों और **परगनों** को **खालिसा** के लिए आरक्षित कर लिया गया जहाँ सुल्तान के प्रतिनिधि के रूप में **शिकदार** सैन्य के साथ-साथ राजस्व प्रशासन की भी देख-रेख करता था। उसे वेतन और भत्ते दिए जाते थे, पर यह नगद वेतन उसके इलाके में वसूले गये राजस्व के बीस प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता था। सुल्तान जिन सरदारों को **परगना** या **सरकार** जैसी प्रशासनिक इकाइयों का राजस्व वसूल करने का जिम्मा देता था, उन्हें **शिकदार** से बड़ी सेना की देख-रेख करनी होती थी। आम तौर पर **खान** नामक अधिन्यासी का पद 5,000 सवार से 10,000 सवार (घुड़सवार) तक का हो सकता था। ऐसे अधिन्यासियों को या तो **मुक्ता** कहा जाता था या फिर **वजहदार**।

लोदी शासनकाल में **इक्ता** व्यवस्था (हमने ऐच्छिक पाठ्यक्रम-03 के खंड-5 और 6 में दिल्ली सल्तनत के अधीन **इक्ता** व्यवस्था की विस्तार से चर्चा की है) के तहत जिन सरदारों को वेतन के बदले **इक्ता** प्रदान किया जाता था, उन्हें उस क्षेत्र विशेष की कानून व्यवस्था और रक्षा का जिम्मा भी संभालना पड़ता था। **दीवान-ए-विज़ारत** में उनके राजस्व लेखा को हर वर्ष जांचा और निबटाया जाता था। इसके अलावा, बुद्धिजीवियों या अन्य योग्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान और एक सरदार को दिए गए **इक्ता** में फर्क था। **इक्ता** के आकार में भी फर्क होता था। **इक्ता** में एक **परगना** शामिल हो सकता था, **परगना** से छोटा भी हो सकता था और कभी पूरी **सरकार** ही शामिल हो सकती थी। अगर **इक्ता** में वसूला गया राजस्व इक्...**दार** के हिस्से से ज्यादा हो जाता था तो इस अधिशेष (**फवाज़िल**) को राजकोष में डाल दिया जाता था।

लोदी शासन काल में **इक्ता** का हस्तांतरण अपवाद रूप में ही हुआ, अतः **इक्तादारों** ने **इक्ता** के आर्थिक विकास में काफी दिलचस्पी दिखाई। शक्तिशाली सरदारों ने अपने **इक्ता** के जमींदारों से दोस्ताना संबंध कायम किए और इस प्रकार केन्द्र के खिलाफ उन्हें स्थानीय सहयोग मिल गया। सिकन्दर लोदी की मृत्यु के बाद ऐसी एक स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसमें सरदारों और सुल्तान इब्राहिम लोदी (सिकन्दर लोदी का पुत्र और उत्तराधिकारी) के बीच ठन गयी।

इस स्थिति को टालने के लिए शेरशाह ने **इक्ता** को हस्तांतरणीय बना दिया। सरदारों का एक **इक्ता** से दूसरे **इक्ता** में स्थानातंरण हो सकता था। उदाहरण के लिए, एक वरिष्ठ सरदार शुजात खाँ सूर को चार बार बिहार से मालवा वहाँ से हरदिया **सरकार** वहाँ से फिर मालवा, स्थानांतरित किया गया।

## 2.6.3 नगरीकरण

यह बात आपको याद दिलानी जरूरी है कि इस काल में आर्थिक उन्नति होने से शहरों का विकास हुआ। बहलोल लोदी के शासन काल में शांति रही और पंजाब तथा अन्य क्षेत्रों में नये नगर बसाये गये। सिकन्दर लोदी के शासन काल में नगरीकरण की प्रक्रिया और तेज हुई। इस काल में शहरों और नगरों की स्थापना से संबद्ध जो स्रोत मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि इस दिशा में सुल्तान और उनके सरदारों ने गंभीर प्रयत्न किए थे। इस काल में सुल्तानपुर (जालंधर जिला), सिकंदराबाद (बुलंदशहर जिला) और सिकंदराराऊ (अलीगढ़ जिला) जैसे महत्वपूर्ण शहर बसे। जलाली **परगना** में पिलखना गांव (अलीगढ़ जिला) के चारों ओर कई गांव बसाए गए और इस प्रकार पिलखना एक उपनगर के रूप में विकसित हो गया। इस दौरान भवन

निर्माण गतिविधि में भी तेजी आई। उदाहरण के लिए, पिलखना में बनी जामा मस्जिद का भव्य दरवाजा लोदी स्थापत्य शैली का एक नमूना है।

सुल्तान सिकंदर लोदी ने प्रमुख शहर आगरा की स्थापना की। इसे सुल्तान के कारीगरों ने यमुना के किनारे पोया और बासी गांव के बीच की ऊँची भूमि पर बनाया था, जो आगरा के पुराने किलाबंद शहर से कुछ दूर था। इस नये शहर के विकास के लिए इसे बनाये गये **सरकार** (एक अपेक्षाकृत बड़ा राज्य क्षेत्र) का मुख्यालय बना दिया गया और साथ ही दिल्ली की जगह इसे ही सल्तनत का भी मुख्यालय बना दिया गया सुल्तान और उसके सरदारों ने आगरा में अपने **कारखाने** स्थापित किए। इससे देश भर के दक्ष कलाकार विभिन्न शहरों और नगरों से खिंचे चले आये। इसी प्रकार दरबार की तरफ से प्रोत्साहित व्यापार से आकर्षित होकर व्यापारी यहां इकट्ठा होने लगे। विदेशों से भी व्यापारी आने लगे। इस क्रम में आगरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख क्रेन्द्र बन गया।

**बोध प्रश्न 3**

1) सिकंदर लोदी की आर्थिक नीतियों का परीक्षण कीजिए।

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

2) लोदी शासन काल में नगरीकरण पर एक टिप्पणी लिखें।

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

## 2.7 सारांश

सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में अफगानों और खासकर लोदी वंश का राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभुत्व बना रहा। मुगलों का आगमन भी हो चुका था पर वे अफगान राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वस्तुतः यह काल अस्थिरता का युग था। अफगान सरदार सुल्तान की निरंकुशता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इस काल की राजनीतिक घटनाओं के पीछे इस तथ्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल, बहलोल अफगान सरदारों के द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित था। सिकंदर ने सरदारों की कमर तोड़ी पर वह समझौते के लिए तैयार रहता था। पर इब्राहिम

लोदी और बाद में सूर शासकों ने निरंकुश केन्द्रीकृत राजतंत्र की स्थापना की और सरदारों को सुल्तान का मातहत बना दिया।

राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद समृद्धि और आर्थिक स्थिरता थी, दाम कम थे, विभिन्न स्थानीय करों को घटा कर, कर का भार कम किया गया। लेकिन लोदी सुल्तानों ने **इक्ता** को वंशानुगत बना दिया। इस काल में शहरों का विकास हुआ। इस काल में आगरा सहित कई शहर उभरे। मुगलों के अधीन आगरा का महत्व और भी बढ़ा।

## 2.8 शब्दावली

**अमीन** : राजस्व निर्धारित करने वाला पदाधिकारी।
**बाबरनामा** : बाबर की आत्मकथा, इसे **तुजुक ए बाबरी** भी कहा जाता है।
**इक्ता** : वेतन के बदले भू-आबंटन।
**कनकूत** : राजस्व निर्धारण का एक तरीका जिसमें इलाके को मापा जाता था और राजस्व अनाज के रूप में निर्धारित और नगद धन या वस्तु के रूप में वसूल किया जाता था।
**कारखाना** : इस काल में **कारखाने** न केवल निर्माण-केन्द्र थे बल्कि वे भंडार-गृह का भी कार्य करते थे।
**खालिसा** : राजा की भूमि, इस भूमि का राजस्व राजकीय कोष के लिए सुरक्षित रखा जाता था।
**परगना** : कई गांवों को मिलाकर बनाई गई एक प्रशासनिक इकाई।
**सरकार** : कई **परगनों** को मिलाकर **सरकार** एक प्रशासनिक क्षेत्र बनता था। **परगना** और **सरकार** के बीच **शिक** होता था, पर अकबर और उसके बाद **शिक** का आमतौर पर उपयोग नहीं किया गया।
**शिक** : कई **परगनों** को मिलाकर प्रशासनिक इकाई **शिक** बनाई गई थी।
**वाली/मुक्ता** : प्रांतीय गवर्नर / **इक्तेदार**।
**वज़ीर** : प्रधानमंत्री।
**विलायत** : प्रांत। इस काल में प्रांत सुपरिभाषित प्रशासनिक इकाइयां नहीं थीं। 1580 ई० में पहली बार अकबर के शासन काल में सुपरिभाषित प्रांतों (**सूबे**) का उदय हुआ।

## 2.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

**बोध प्रश्न 1**

1) देखिए उपभाग 2.2.1
2) कड़ा (इलाहाबाद के निकट) का गवर्नर; गुजरात का शासक; बिहार का गवर्नर; कालपी का गवर्नर; पंजाब का गवर्नर।

**बोध प्रश्न 2**

1) अफगान कबीलाई राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख कीजिए, कैसे यह विकेन्द्रीकरण पर आधारित थी, और इसकी तुलना केंद्रीकृत तुर्की राजनीतिक व्यवस्था से कीजिए (देखिए उपभाग 2.5.1)
2) देखिए उपभाग 2.5.2, शेरशाह और इस्लाम शाह दोनों की नीति पर विचार कीजिए।

**बोध प्रश्न 3**

1) देखिए उपभाग 2.6.1, 2.6.2
2) देखिए उपभाग 2.6.3